of our economy. So, I wish to know whether it is correct to say or imply that average duties of countries are indicators of liberalisation.

SHRI KAMAL NATH: Sir, I draw the attention of the hon. Member to the first part of my answer. The first part of my reply to this question relates to the FICCI report, and how the FICCI report has measured the globalisation.

Sir, one of the methods by which the openness of economy is determined is by the ratio between GDP and trade. And what is trade? Trade is imports and exports. If our duties are high, our trade will be less. So, as a ratio of GDP, if GDP is higher, our trade is lower, obviously it will be a different ratio.

Sir, we rank 118 amongst 122 countries in our tariffs. And that is the point I was trying to make that though we have had a gradual calibration of duties towards the reducation side, this has led to higher trade and countries reciprocate. It is very important to note that even as we are reducing our tariffs, countries to which we are exporting are also reducing their tariffs. So, while it gives an opportunity for us to export, also imports become easier, imports become more accessible to the Indian industry, and that leads to higher trade. Higher trade, then, as a measure, as a percentage of GDP, gives a different picture when it is in the context of lower tariffs.

SHRI NILOTPAL BASU: But not at the cost of the Indian industry.

SHRI KAMAL NATH: Obviously not, Sir. Not at the cost of the Indian industry.

Admission guidelines in KVS

*169. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of the guidelines issued by the KVS governing admission in the Kendriya Vidyalayas;

(b) whether these guidelines have been approved by Government;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(d) the criteria or deadline fixed for calculation whether adequate eligible children are available or not for admission in a particular KV in Class 11th, stream-wise; and

(e) the steps Government propose to take to streamline the admission policy of KVs for Class 11th, stream-wise?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The guidelines for admissions to the Kendriya Vidyalayas issued by the Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) from time to time, among other, contain the following: (1) priority categories of children; (2) the eligible age for admission; (3) the method of admission including the subjects in which admission tests, as applicable are conducted; (4) the percentage marks required for being eligible for admission to the different streams at the 'plus 2' stage;(5) the concession allowed for admission of students belonging to the Scheduled Castes. Scheduled Tribes and to participants in extra curricular activities; (6) the provision for reservation of seats to the Scheduled Castes (15%), the Scheduled Tribes (7.5%) and the horizontal reservation for children with disabilities (3%). (7) the special provisions in regard to certain categories of admissions in deserving cases, including those sponsored by the Hon'ble Member of Parliament for the KVs located in their own constituency; (8) the normal class strength and the number of students required for opening a viable stream at the 'plus 2 stage'; (9) the schedule and procedure for admissions.

(b) and (c) The Kendriya Vidyalaya Sangathan is an autonomous organization and the competent authority to decide on the guidelines for admissions is the Board of Governors of the Sangathan.

(d) and (e) While the normal class strength under the guidelines is 35-45 students, a minimum of 15 students are required for opening a viable stream at the 'plus 2' stage. The present guidelines are adequate to deal with admissions to class XI in all streams.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, बात थोड़ी पुरानी हैं । शिक्षा विभाग की सन् 2000 की वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें केन्द्रीय विद्यालय की भर्ती नीति के बारे में चर्चा है। 2003 में केस किया गया है। मुझे खुशी है कि वर्तमान मानव संसाधन मंत्री और उस समय के मानव संसाधन मंत्री, दोनों ही संसद में हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इन दोनों से मिला-जुला सवाल एक उस भर्ती नीति के संबंध में पूछूं। मैंने एक बार वेब-साइट पर भी सुना कि यह जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन है,

इसको अलग से शिक्षा नीति या भर्ती नीति निर्धारित करने का अधिकार है। दोनों ने जो कुछ भी तय किया है, अब दोनों में फर्क आ रहा है और इसमें घपलेबाजी हो रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो सदन में भर्ती नीति के बारे में रिपोर्ट पेश हुई थी, मैं यह जानबूझकर कह रहा हूं, दाखिला नीति और जो बाद में गाइडलाइंस तय हुईं, दोनों की नीतियों के कारण जो गरीब छात्र हैं, क्योंकि लड़कों को पास कराने के लिए बाहर कर दिया जाता है और लड़के तेज भर्ती होते हैं, जो या तो पढ़ाने वाले की बेवकूफी से या अपनी बेवकूफी से कमजोर हो जाते हैं। उसके लिए उनको धक्का मार कर बाहर कर दिया जाता है। अखबारों में फोटो आती है कि प्रिंसिपल उनको धक्का मार कर बाहर कर देता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन दोनों में फर्क कैसे आया और जो सदन में रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें यह नीति रखी गई थी, उसकी कैसे रक्षा की जा सकती है?

श्री अर्जुन सिंह: माननीय सभापति महोदय,यह सर्वविदित है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक एटोनोमस संगठन है और अपने संगठन के बारे में उसे फैसला लेने का अधिकार है। जो निर्णय संगठन ने लिए हैं, वे इसी उद्देश्य से लिए हैं कि जो संगठन द्वारा संचालित स्कूल हैं, उनकी गुणवत्ता बनी रहे और यह हर्ष का विषय है कि इन स्कूलों के विषय में आम लोगों की राय यही है कि ये स्कूल ठीक ही चल रहे हैं और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी है, इसीलिए वहां इतने एडमिशन के लिए प्रयास होते हैं। अब अगर इसमें बहुत से सवाल उठते हैं, जब आप पूरी तरह से इसका सर्वेक्षण करने की कोशिश करें, अलग-अलग विषय पर प्रश्न आएंगे तो मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा और अगर सर्वांगीण विषय पर चर्चा की बात है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ...**(व्यवधान)**....

श्री सभापति: एक मिनट आप बैठ जाइए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, अभी मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय विद्यालय एक स्वायत्त संस्था है। यह स्वायत्त संस्था बड़ा खतरनाक शब्द है। वह जो कुछ भी इंतजाम करेगा, वह देश के बच्चों की तकदीर बनाने के लिए करेगा। उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, एकाउन्टेबिलिटी कहां जाएगी, कौन देश को जवाब देगा, केन्द्रीय विद्यालय संगठन का अफिसर या मानव संसाधन विकास मंत्री? देश अर्थात् पार्लियामेंट, कौन जवाब देगा? एकाउन्टेबिलिटी किसकी है? इसलिए जब कभी भी एटोनोमस बॉडी की बात की जाती है, तो मैं समझ जाता हूं कि उस संगठन को नौकरशाही के पंजे में फैंक दिया जा रहा है। वह हम लोगों के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसलिए यह क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ तो आप ऐलान करेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान में है, एज्युकेशन सेस लगाएंगे और दूसरी ओर आपका प्रिंसिपल, अपने को मिनिस्टर से भी बड़ा आदमी समझने लगेगा। ये दोनों बातें नहीं चल सकती। इसके बारे में आप अपनी नीति स्पष्ट करें।

श्री अर्जुन सिंह: माननीय सभापति महोदय, यह भूलकर भी कोई नहीं कह सकता कि इसके

बारे में जानकारी लेने के लिए और उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए पार्लियामेंट कम्पीटेंट नहीं है और पार्लियामेंट में मंत्री ही एकाउन्टेबल है, कोई प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने दोनों बातें कहीं हैं कि रोजाना के जो फैसले होते हैं, उनमें तो हम आटोनामी की रक्षा करते हैं, लेकित अगर सर्वांगीण रूप से ऐसा कोई विषय आए तो मैं तो स्वयं कह रहा हूं कि इसके बारे में सदन में विस्तार से चर्चा हो। यह तो मेरा प्रस्ताव है।

श्री दत्ता मेघे: इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री राजीव शुक्ल: सभापति जी, जैसाकि मंत्री जी ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सैन्ट्रल स्कूल की कार्यप्रणाली ऐसी है जिसकी वजह से वहां पर एडमिशन्स का बहुत दबाव रहता है। वहां पर बहुत से लोग एडमिशन चाहते हैं और खासतौर से जो गरीब परिवारों के बच्चें हैं, उनका तांता लगा रहता है। लेकिन मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि समय-समय पर इसकी भर्ती नीति बदलती रहती है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या कोई स्थाई भर्ती नहीं बन सकती, ताकि ये सारे विवाद खत्म हो जाएं? दूसरी बात यह है कि जो सांसदों का दो-दो एडमिशन का कोटा है, क्या उसको कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि संसद सदस्यों के ऊपर बहुत दबाव रहता है? यही मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। ...(व्यवधान)....

श्री अर्जुन सिंह: यह जो दो केन्डीडेट्स के एडमिशन्स का मापदंड, मंत्रियों और माननीय सदस्यों को दिया गया है, अभी तत्काल इसको बढ़ाने पर तो कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जहां तक ...(व्यवधान)...भविष्य में तो बहुत कुछ हो सकता है। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: आप आश्वासन तो दे दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उनका काम आश्वासन से ही चल जाएगा। ...(व्यवधान)... एडमिशन से नहीं। एडमिशन करें या न करें, कोई चिंता नही हैं, आश्वासन दे दीजिए।

श्री अर्जुन सिंह: मैं समझता हूं कि कोरा आश्वासन नहीं देना चाहिए, जो करना है, वही करना चाहिए।

श्री सभापति: ठीक है, नहीं देना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, आधा घंटा चर्चा करा दीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, there should be a half-an-hour discussion on admission policy.

श्री सभापति: आधा घंटा जिन्होंने क्वेश्चन किया है। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, this is an important issue.

श्री सभापति: वह ठीक है, माननीय सदस्य जिन्होंने क्वेश्चन किया है, वे सेटिस्फाईड हैं तो फिर आधा घंटा किस बात का? ...(व्यवधान)...

श्री संतोष बागड़ोदिया: सर, कोई भी मेम्बर रिक्वेस्ट कर सकता है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: जनेश्वर जी आप?

श्री संतोष बागड़ोदिया: वे सब माननीय सदस्य चले गए हैं। ...(व्यवधान)... वे सदस्य तो चले गए हैं।

श्री सभापति: नही-नहीं ये बैठे हैं, जनेश्वर जी।

श्री संतोष बागड़ोदिया: जनेश्वर जी, आप आधा घंटा डिसकसन के लिए रिक्वेस्ट करिए। वे एलाऊ कर देंगे, आप आधा घंटा डिसकसन के लिए रिक्वेस्ट करिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री सभापति: ठीक है, आप लिखकर भेज दीजिए।

*170 [*The questioner* (SHRI URKHAO GWRA BRAHMA) *was absent. For answer vide* page 31]

Failure of Sarva Shiksha Abhiyan

*171. SHRI SHAHID SIDDIQUI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the failure of Sarva Shiksha Abhiyan;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that 66 per cent additional posts of primary teachers are still lying vacant; if so, the details thereof, State-wise; and

(d) the reasons for not filling the vacancies and the details of the future plan in this regard?